

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-10) विभाग

क्रमांक: स.24(5)(2)स्थाना/संस्था/अभि/24

जयपुर, दिनांक: 23.02.2024

—: आदेश :—

इस विभाग के आदेश क्रमांक प.18(3)स्था./गृह-10/2023 दिनांक 22.02.2024 के क्रम में निम्न अधिकारियों को उनके स्वयं के कार्यभार के अतिरिक्त उनके नाम के सम्मुख अंकित पद का अतिरिक्त कार्यभार दिया जाता है:—

A. संयुक्त निदेशक अभियोजन

कं. सं.	नाम अधिकारी	वर्तमान पदस्थापन	अतिरिक्त चार्ज
1	श्री महेश दाधीच	उप निदेशक अभियोजन, प्रथम जयपुर महानगर	संयुक्त निदेशक अभियोजन, जयपुर द्वितीय
2	श्री उमाशंकर खण्डेलवाल	उप निदेशक अभियोजन, जयपुर देहात	संयुक्त निदेशक अभियोजन, जयपुर प्रथम
3	श्री कमल कुमार शर्मा	संयुक्त निदेशक अभियोजन (सतर्कता), अभियोजन निदेशालय, जयपुर	संयुक्त निदेशक अभियोजन, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर
4	श्री थानेश्वर राठौड़	संयुक्त निदेशक अभियोजन राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर	संयुक्त निदेशक अभियोजन, जोधपुर

B. उप निदेशक अभियोजन

कं. सं.	नाम अधिकारी	वर्तमान पदस्थापन	अतिरिक्त चार्ज
1.	श्री आवेश सिंह	सहायक निदेशक अभियोजन, (विधिक परामर्श) अलवर	उप निदेशक अभियोजन, अलवर
2.	श्री दिलीप सिंह राठौड़	अभियोजन अधिकारी, बाडमेर	उप निदेशक अभियोजन, बाडमेर
3.	श्रीमति निर्लेप सक्सेना	सहायक निदेशक अभियोजन, (विधिक परामर्श) चित्तौडगढ़	उप निदेशक अभियोजन, चित्तौडगढ़
4.	श्री अनिल माकड	सहायक निदेशक अभियोजन, (विधिक परामर्श) श्रीगंगानगर	उप निदेशक अभियोजन, श्रीगंगानगर
5.	श्री प्रमोद कुमार हटवाल	सहायक निदेशक अभियोजन, (विधिक परामर्श) झुंझुनु	उप निदेशक अभियोजन, झुंझुनु

Signature valid

RajKaj Ref
5790671



Digitally signed by Raj Sharma
Designation: Director
Date: 2024.02.23/21:32:46 IST
Reason: Approved

6.	श्री राजेश कुमार अग्रवाल	सहायक निदेशक अभियोजन, (विधिक परामर्श) पाली	उप निदेशक अभियोजन, पाली
7.	श्री हेमन्त देथा	सहायक निदेशक अभियोजन, (विधिक परामर्श) राजसमंद	उप निदेशक अभियोजन, राजसमंद
8.	श्री रामलाल सैनी	विशिष्ट लोक अभियोजक, न्या. एससी/एसटी, सीकर	उप निदेशक अभियोजन, सीकर
9.	श्री ओमप्रकाश मेहता	संयुक्त निदेशक अभियोजन, उदयपुर (मूल पद उप निदेशक अभियोजन)	उप निदेशक अभियोजन, उदयपुर

सहायक निदेशक अभियोजन (विधिक परामर्श) जिला स्तर पर पदस्थापित उप निदेशक अभियोजन के कार्यालय में कार्य निष्पादित करेंगे एवं संभाग स्तर पर संयुक्त निदेशक अभियोजन के कार्यालय में कार्य निष्पादित करेंगे।

(रवि शर्मा)
शासन सचिव, गृह (विधि)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
2. निदेशक अभियोजन, राजस्थान, जयपुर।
3. संबंधित जिला कलक्टर, राजस्थान
4. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन, न्याय/अभियोजन।
5. संबंधित अधिकारी।
6. निजी/रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव, गृह (विधि)

Signature valid

RajKaj Ref
5790671

Digitally signed by Ravi Sharma
Designation: Director
Date: 2024.02.23 22:32:46 IST
Reason: Approved